UPMT010051762026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2255/2026
बृजलाल आदि प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–296/2025, धारा–420,467,468,471 भारतीय दण्ड संहिता, थाना गोवर्धन, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण **बृजलाल, राधाकृष्ण उर्फ गोवर्धन व भरतलाल उर्फ भरतो** की ओर से अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर, षडयंत्र व धोखाधड़ी के तहत वादिया की जमीन में से कुछ जमीन फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा करा देना आदि आक्षेपित है।

बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्तगण व सह अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है।

3– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्रों पर बल देते हुए मुख्यतः कथन किए गए हैं कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूंठा फंसाया गया है। यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व माननीय उच्च न्यायालय या इस न्यायालय में न तो लंबित है, न निरस्त हुआ है। आवेदक/अभियुक्त बृजलाल ने जितने भी बैनामे अपनी भूमि खसरा संख्या 181 रकवा 1.184 है० के किये, वे सभी सही किये हैं। आवेदक/अभियुक्त बृजलाल ने एक बैनामा अनिल अग्रवाल को दिनांक 18.03.2011 को क्षेत्रफल 3160 वर्गमीटर जमीन विक्रय की, जिसे बाद में रजनी अग्रवाल ने दिनांक 22.08.2014 को अनिल अग्रवाल से क्रय किया, परन्तु अनिल अग्रवाल को जिस हिस्से का बैनामा बृजलाल ने किया था, उस हिस्से का बैनामा रजनी अग्रवाल को न करके दूसरे हिस्से का बैनामा रजनी अग्रवाल को कर दिया, जिसमें कुछ हिस्सा कस्तूरी देवी व कुछ हिस्सा खसरा संख्या 115 का, जोकि मंदिर के नाम दर्ज है। उक्त हिस्से पर रजनी अग्रवाल अपना कब्जा करना चाहती है, जबकि उक्त सम्पत्ति के मामले में न्यायालय सिविल जज, जू०डि०, मथुरा के यहां वाद संख्या 128/2024 लंबित है। आवेदक/अभियुक्त बृजलाल द्वारा जो जमीन अनिल अग्रवाल को विक्रय की थी, उस जमीन का अभी तक अनिल अग्रवाल पर रूपया बकाया है, जो उसने नहीं दिया, जिसका मुकदमा आवेदक/अभियुक्त द्वारा न्यायालय सिविल जज, जू०डि०, मथुरा में वाद संख्या 166/2016 बृजलाल बनाम अनिल कुमार बैनामा निरस्तीकरण का लंबित है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त को अपनी बेची गयी भूमि का प्रतिफल ही आज तक नहीं दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त राधाकृष्ण उर्फ गोवर्धन व भरतलाल उर्फ भरतो के द्वारा न तो कोई जमीन बेची गयी, और न किसी बैनामा के गवाह हैं। उनके विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। अभियुक्त बच्चे सिंह पर भी कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि बच्चू सिंह को कस्तूरी देवी ने जो एग्रीमेंट किया, उसको दिनांक 05.01.2019 को निरस्त कर दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में 1291 वर्गगज जमीन आवेदक/अभियुक्त बृजलाल के पास बकाया बची बतायी जाती है, उस जमीन पर दुकान आदि बनाने का कथन है, जबकि उक्त दुकान खसरा संख्या 115 पर बनी हैं। आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण के संबंध में दौरान विवेचना अरेस्टिंग स्टे का आदेश किया गया था। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। उनके द्वारा विवेचना में पूर्ण सहयोग किया गया है तथा वे विचारण में भी पूर्ण सहयोग करेंगे। अतः उन्हें दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.07.06 17:24:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर, षडयंत्र के तहत वादिनी की जमीन का कूटरचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी बैनामा किया गया है। बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। आवेदक/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत के पात्र नहीं हैं।

5– उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली के अवलोकन के उपरांत इस अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु विधिव्यवस्था **गुरूवख्श सिंह सिविया प्रति स्टेट ऑफ पंजाब 1978 Cr.L.J. 20(F.B.)** का संज्ञान लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

Sec. 438 of the code is in the nature of a shield for protecting entirely innocent person from malicious humiliation–––care has to be taken that this provision does not become sword in the hands of the unscrupulous person to gain time for destroying the incriminiating evidence against them and to mock at the legitimate investigation process authorised by law.

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत होने तक माननीय उच्च न्याालय द्वारा कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगायी गयी थी। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा दौरान विवेचना, विवेचक को विवेचना में सहयोग न किया हो, ऐसा कोई तर्क अभियोजन पक्ष का नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण की किसी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर कोई मत प्रकट किए, आवेदक/अभियुक्तगण को निम्न शर्तों के अधीन दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–

1– आवेदक/अभियुक्त दौरान विचारण, न्यायालय को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे और अपने स्तर से विचारण में कोई विलम्ब कारित नहीं करेंगे।

2– आवेदक/अभियुक्तगण उक्त प्रकरण के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देंगे और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेंगे,

3– आवेदक/अभियुक्तगण बिना न्यायालय की अनुमति व आदेश के भारत नहीं छोड़ेंगे,

4– आवेदक/अभियुक्तगण ऐसा अपराध, जिसे करने का उन पर अभियोग या संदेह है, वैसा कोई अपराध नहीं करेंगे और उनके द्वारा विचारण में सहयोग न देने की शिकायत पर जाँचोपरान्त किसी भी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्तगण **बृजलाल, राधाकृष्ण उर्फ गोवर्धन व भरतलाल उर्फ भरतो** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए की दो–दो विश्वसनीय जमानतें व समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र अविलम्ब नियमानुसार सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत किए जायँ।

दिनांक–06.07.2026

(विकास कुमार–।)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.U.P. 1910

खेम सिंह, पी०एस०